भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2580

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

भारतीय प्रबंधन संस्थानों, केंद्रीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संकाय की भर्ती

†2580. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सृजित नियमित पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान केन्द्रीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर की गई नियमित भर्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या हैं;
(घ) इन संस्थानों में संविदा आधार पर सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संकायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आईआईएम में आरक्षित पदों हेतु रिक्त पदों पर अनारक्षित श्रेणियों से नियुक्त संकाय सदस्यों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): सभी आईआईएम जुलाई, 2019 में अधिसूचित केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन करते हैं। आईआईएम 'संकाय भर्ती के लिए फ्लेक्सी कैडर सिस्टम' का पालन करते हैं, जहां सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद का एक पूल बनाते हैं और आवश्यकताओं/योग्यता/अनुभव के अनुसार किसी भी पद पर संकाय की भर्ती/नियुक्ति की जाती है। रिक्तियों का होना और पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। छात्रों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और नए पदों के सृजन के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। पदों को आरक्षण रोस्टर तैयार

करने, पदों का विज्ञापन करने, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए समय देने, उम्मीदवारों की सूची बनाने, अंतिम चयन और अन्य संबंधित कारणों जैसी उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भरा जाता है। सभी आईआईएम को एक विशेष अभियान और मिशन मोड के माध्यम से रिक्त पड़े संकाय पदों को भरने के निदेश दिए गए हैं।

(ग): उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले दस वर्षों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए लगभग 3000 अनुसूचित जातियों और 2000 अनुसूचित जनजातियों की भर्ती की गई है।

(घ): भारतीय प्रबंध संस्थानों ने सूचित किया है कि भारतीय प्रबंध संस्थानों में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के संवर्गों में कोई संविदात्मक नियुक्ति नहीं की गई है। कुछ भारतीय प्रबंध संस्थानों ने सूचित किया है कि उन्होंने संविदा आधार पर संबंधित उद्योगों और शिक्षा जगत से विजिटिंग प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस की नियुक्ति की है।
दिनांक 31.10.2024 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुबंध के आधार पर कुल 91 एससी/एसटी संकाय सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं।

(ङ): जुलाई, 2019 में अधिसूचित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआई) में शिक्षक संवर्ग में स्वीकृत संख्या में से सीधी भर्ती में पदों के आरक्षण, जो आईआईएम के लिए भी लागू है, को निर्दिष्ट किया गया है।

*****